न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ. सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 69 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 23.10.2024

1–भैरू पुत्र प्रतापा जाति कीर निवासी नटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक
2–प्रभू पुत्र प्रतापा जाति कीर निवासी नटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक
3–राजाराम पुत्र प्रतापा जाति कीर निवासी नटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक

–अपीलाण्ट्स

बनाम

नायब तहसीलदार सिरस जिला–टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सिरस दिनांक 11.09.2024 मिसल नम्बर 195 / 2024

उपस्थिति : (1) श्री दोलतराम चौधरी,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

दिनांक 03.12.2024

निर्णय

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिरस ने अपने निर्णय दिनांक 11.09.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.5564 है0 किस्म गै.मु.नाडी वाके ग्राम नटवाडा तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर जोत कब्जा कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 110 / रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सिरस के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। नायब तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नही किया है और ना ही मौके की वास्तविक–वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्व दुर्भावना पूर्वक पश्चातवर्ती कब्जे बाबत रिपोर्ट की गई है। नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलांट्स को जिरह करने का अवसर नही दिया है।अपीलांट का उक्त भूमि पर कब्जा

जिला कलेक्टर
टोंक

नही है। अपीलांट्स ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1071 रकबा 0.5564 है0 किस्म गै.मु.नाडी वाके ग्राम नटवाडा तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर जोत कब्जा कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सिरस द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से कमलेश की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1071 मे से रकबा 0.5564 है0 किस्म गै.मु.नाडी वाके ग्राम नटवाडा तहसील निवाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर जोत कब्जा कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 551/2023 निर्णय दिनांक 15.09.2023 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि से अपना कब्जा मौके से भौतिक रूप से हटा लिया है और मै भविष्य मे उक्त भूमि पर पुनः कब्जा नही करूंगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा नायब तहसीलदार सिरस प्रकरण संख्या 195/2024 दिनांक 11.09.2024 मे अपीलांट अतिक्रमी के विरूद्व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा तक निर्णय को अपास्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक